न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1219 / 2024

अनवान : –

1. श्योपत राम पुत्र स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. मोटाराम पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. चेतराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. सन्तो पत्नी स्व0 सन्तलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. केसरा राम पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री स्व0 सन्तलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी पुत्री स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
7. बृजा देवी पुत्री स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
8. विमला पुत्री स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
9. गीता पुत्री स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 61 की कुल 10.5340 हैक्ट भूमि जोतराम पुत्र दानाराम के नाम दर्ज है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोतराम पुत्र दानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी स0 1 का पिता व वादी स0 2 का दादा है। जोतराम पुत्र दानाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा दानाराम की पत्नी मीरा का भी देहान्त हो चुका है एवं जोतराम के एक लड़का सन्तलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी स0 2 व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 है। जोतराम पुत्र दानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 9 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण ... है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि बादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण जोतराम, मीरा व सन्तलाल, दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोतराम पुत्र दानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी स0 1 का पिता व वादी स0 2 का दादा है। जोतराम पुत्र दानाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा दानाराम की पत्नी मीरा का भी देहान्त हो चुका है एवं जोतराम के एक लड़का सन्तलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी स0 2 व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 है। जोतराम पुत्र दानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 9 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राजहक को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:12:13 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा जोखासर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के खाता स0 61 की कुल 10.5340 हैक्ट भूमि जोतराम पुत्र दानाराम के नाम दर्ज है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोतराम पुत्र दानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी स0 1 का पिता व वादी स0 2 का दादा है। जोतराम पुत्र दानाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा दानाराम की पत्नी मीरा का भी देहान्त हो चुका है एवं जोतराम के एक लड़का सन्तलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी स0 2 व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 है। जोतराम पुत्र दानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 6 ता 9 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक जोतराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 61 की कुल 10.5340 हैक्ट भूमि में मृतक जोराराम पुत्र दानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी। को 1/4 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि का, वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 4 को बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:12:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1219/2024

अनवान : –

1. श्योपत राम पुत्र स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. मोटाराम पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. चेतराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. सन्तो पत्नी स्व0 सन्तलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. केसरा राम पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री स्व0 सन्तलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी पुत्री स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
7. बृजा देवी पुत्री स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
8. विमला पुत्री स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
9. गीता पुत्री स्व0 जोतराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1219 सन 2024 निर्णय दिनांक 03/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 61 की कुल 10.5340 हैक्ट भूमि में मृतक जोराराम पुत्र दानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1 को 1/4 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि का, वादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 4 को बहिब 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:12:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर